<u>दिल्ली विकास प्राधिकरण</u>

<u>प्रिंटिंग प्रेस</u>

सं.एफ.5(6)2018/पी.पी. दिनांक- 10.07.2019

प्रिंट और बाइंड की गई विभिन्न फाइल कवरों की प्रिंटिंग और आपूर्ति के लिए नियम और शर्ते तथा अनुसूची सहित निविदा आमंत्रित करने की सूचना

दि.वि.प्रा. द्वारा प्रदान /आपूर्ति किए जाने वाले पेपरों (पल्प बोर्ड) वाले विभिन्न फाइल कवरों कि प्रिंट और तैयार करने हेतु दोहरी बोली प्रणाली (अर्थात् तकनीकी और वित्तीय) के माध्यम से प्रतिष्ठित प्रिंटरो/एजेंसियों (एम.एस.एम.ई.) से दरों को आमंत्रित किया जाता है।फाइल कवरों को दि.वि.प्रा. द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न शीर्षकों और मात्रा के अनुसार प्रिंट किया जाना है। कार्य की विस्तृत विनिर्दिष्टियाँ निम्न अनुसार हैः

कार्य का नाम और उसका संक्षिप्त विवरण	फाइल कवरों का विस्तृत विनिर्देश अर्थात् आकार, इत्यादि और (लगभग) मात्रा
लम्बाई में 14" और चौड़ाई में 10.5" के आकार की फोल्ट और पेस्ट की गई फाइल कवरों की प्रिंटिंग और बाइंडिंग।	दिए गए नमूने के अनुसार विधिवत रूप से छपे निम्नलिखित विभिन्न विभागों के फाइल कवर को उच्च गुणवत्ता वाले जिल्द के कपड़े (बाइंडिंग क्लोथ) जिसकी मोटाई 4" और लम्बाई 4" हो और ठीक प्रकार से फेविकोल /वैमिकोल आदि जैसी सिंथेटिक गोंट से पेस्ट हो और उसमें दो सुराख बने हो तथा फोल्ड (विधिवत् क्रीज़) किए होः क) आवास विभाग- एक फोल्ड (19,000) ख) आर.टी.आई. विभाग - एक फोल्ड (20,000) ग) विधि विभाग - दो फोल्ड (16,000) घ) सामान्य - एक फोल्ड (21,000)

1. बोलीदाताओं को निदेशः

   सामान्य

   क) इच्छुक सेवा प्रदाता/प्रिंटरों/बाइंडरों को निविदा अपेक्षित पैकेट/कवर के अंदर दो अलग-अलग लिफाफों में तकनीकी बोली और वित्तीय बोली लिख कर निविदा बॉक्स में जमा करनी है। फाइल कवर तैयार करने हेतु यह दोनों लिफाफे एक मुख्य लिफाफे के अंदर होगें जिसपर निविदा लिखा होगा।

   ख) बोलीदाता दि.वि.प्रा. की वेबसाइट अर्थात् www.dda.org.in से निविदा के दस्तावेज़ और नियम तथा शर्तें डाउनलोड कर सकते हैं।

   ग) तकनीकी बोली शुरू होने के बाद किसी भी बोलीदाता फर्म को अपनी बोली वापस लेने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई फर्म तकनीकी बोली शुरु होने के बाद अपनी बोली वापस लेना चाहती है, तो उसकी ई.एम.डी. जब्त हो जाएगी।

   घ) दि.वि.प्रा. के परिसर में कार्य पूरा होने के लिए निर्धारित तिथि /समय पर फाइल कवर पहुँचाने की जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी और लो

   ङ) बोलीदाताओं के पास सम्पर्क हेतु कम से कम एक लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन और एक मोबाइल होना चाहिए। उसी का विवरण बोली में भी दिया जाए।

2. संविदा की अवधिः संविदा सौपने के पत्र की तिथि से 2 माह की अवधि के लिए करार होगा।
3. बोली की वैधता: वित्तीय बोली शुरु होने की तिथि से 90 दिनों की न्यूनतम अवधि के लिए बोली वैध होनी चाहिए।
4. विकास सदन में दि.वि.प्रा. के विभिन्न अनुभागों /स्टोर जैसे कि आवास, आर.टी.आई. /विधि और नज़ारत को तीन लॉट में फाइल कवर देने हैं। आवास विभाग हेतु फाइल कवर के प्रथम लॉट को कार्य के सौपने से 15 दिन के भीतर देना है।
   च) डिंग तथा अनलोडिंग के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जाएगा।
5. रोड जंक्शन पर सफेद रंग में मार्किंग करने हेतु थर्मोप्लास्टिक पेंट का प्रावधान किया जा सकता है।
6. उनके सिग्नलिंग सिस्टम में कोई सुधार करने के लिए, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ इस मामले को समानांतर रखा जा सकता है। इसके अलावा, एम्बेडेड पाइप की योजना भी बनाई जा सकती है ताकि बाद के दिनों में जंक्शन पर सड़क की कटिंग से बचा जा सके।
7. वित्तीय सहमति में निर्धारित शर्तों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।
   अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देने के बाद बैठक का समापन हुआ।
   यह उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

निदेशक (कार्य)

आकलन संस्वीकृति समिति के सदस्यों को सूचनार्थ।

1. अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा.।
2. वित्तीय सदस्य, दि.वि.प्रा.।
3. उप सचिव (वित्त)- बजट, जी.एन.सी.टी.डी., चौथा लेवल, ए-विंग, दिल्ली सचिव, आई.पी.स्टेट भवन, नई दिल्ली।
4. मुख्य अभियंता (भवन) पी.डब्ल्यू.डी., जी.एन.सी.टी.डी.।

सूचनार्थ हेतु प्रतिलिपि-

1. उपाध्यक्ष दि.वि.प्रा. के विशेष कार्य अधिकारी।
2. प्रधान आयुक्त (उद्यान) दि.वि.प्रा.।
3. आयुक्त (आवास), दि.वि.प्रा.।
4. वित्त सलाहकार (आवास)।
5. मुख्य अभियंता (द्वारका), दि.वि.प्रा.।
6. मुख्य अभियंता (मुख्यालय), दि.वि.प्रा.।
7. मुख्य वास्तुविद्, दि.वि.प्रा.।
8. मुख्य लेखाधिकारी, दि.वि.प्रा.।
9. अपर आयुक्त (भूमि सर्वेक्षण), दि.वि.प्रा.।

10.निदेशक (वित्त) - सलाहकार, दि.वि.प्रा.।

11.निदेशक (उद्यान) द्वारका, दि.वि.प्रा.।

12.निदेशक (उपाध्यक्ष-कार्यालय), दि.वि.प्रा.।

13.वित्त अधिकारी (द्वारका), दि.वि.प्रा.।

14.अधिशासी अभियंता (समन्वय), दि.वि.प्रा.।

15.मुख्य लेखाधिकारी (द्वारका), दि.वि.प्रा.।

16.दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु निदेशक (प्रणाली)

17.गार्ड फाइल।

निदेशक (कार्य)

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अभियंता सदस्य सचिवालय

सं.ईएम.1(37)/87/वाल्यूम 125/1841 दिनांक- 05 /7/19

विषयः दिनांक 27/06/2019 को अपराह्न 01:00 बजे, उपाध्यक्ष के सम्मेलन कक्ष, प्रथम तल, बी-ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली में आयोजित ईएसी की 135वीं बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थित

सर्व श्री/श्री/श्रीमती

1. तरुण कपूर उपाध्यक्ष अध्यक्ष
2. के.विनायक राव वित्त सदस्य सदस्य
3. शैलेन्द्र शर्मा अभियंता सदस्य सदस्य
4. आर.के.सिंह मुख्य अभियंता (द्वारका)
5. रवीन्द्र कुमार उप सचिव (वित्त)
6. आर.के.बनवारिया निदेशक (कार्य)
7. राजपाल सिंह निदेशक (वित्त)
8. दीपांकर सिंह वरि.वास्तुकार (द्वारका)
9. शैलेन्द्र कुमार अधिशासी अभियंता /पश्चिमी खण्ड-13
10. ए.के.अग्रवाल अधिशासी अभियंता (समन्वय)
11. अनुज मलहोत्रा सी.ई.ओ,सी.जी.एम /नोलिज पार्टनर, एमएचए।

मुख्य अभियंता (बिल्डिंग) पी.डब्ल्यू.डी, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार बैठक में उपस्थित नहीं थे। उपाध्यक्ष दि.वि.प्रा. ने एजेंडा हेतु परिचालित दिनांक 26.06.2019 कार्यालय पत्र सं. ई.एम 1(37)87/वाल्यूम.125/1711 के अंतर्गत बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में निम्नलिखित मदों पर चर्चा की गई और लिए गए निर्णय निम्नानुसार हैं-

द्वारका जोन

1.मद संख्या 01/2019

कार्य का नामः द्वारका, फेज-II में भूमि (224.00 हैक्टेयर) का निर्माण

उप-शीर्षः सैक्टर 12 एवं 13 के मेट्रो कोरिडोर का स्ट्रीट सुधार और एनएसआईटी तक चिह्नित स्ट्रेच (आईडेंटिफाइड स्ट्रेच) पर साइकिल ट्रैक का निर्माण।

श्री आर.के.सिंह, मुख्य अभियंता (द्वारका) द्वारा प्रस्तुत एजेंडा में इस अनुमान के तहत किए जाने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों के बारे में विस्तार से बताया गया।

अशासकीय सं.एफ.1(26) /डब्ल्यूएसी-II/एफ2(2) /एई- II /डब्ल्यू डी-13/डीडीए/43 दिनांक 27.05.2019 के तहत जारी 7,45,38,241 /- (सात करोड़ पैंचालीस लाख अढ़तीस हजार दो सौ इकतालीस रुपये) की राशि हेतु संस्वीकृति संख्या 04 /2019-20 के तहत प्रारंभिक अनुमान हेतु वित्तीय सूची वित्तीय विंग दि.वि.प्रा. द्वारा सहमति प्राप्त है। सैक्टर 12 एवं 13 के मैट्रो कॉरिडोर के स्ट्रीट सुधार और एनएसआईटी तक चिन्हित स्ट्रेच (आईडेंटिफाइड स्ट्रेच) पर साइकिल ट्रैक के निर्माण हेतु सहमति पर समझौता किया गया है।

उचित चर्चा एवं विचार-विमर्श के पश्चात्, समिति ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रशासनिक दृष्टिकोण से अनुमान को मंजूरी दीः-

विवरण	डब्ल्यू.ओ.एल (3% आकस्मिक व्यय सहित)	विभागीय शुल्क 11.25% की दर पर (रुपये)	वित्तीय सूची की राशि
मुख्य अभियंता द्वारा यथा प्रस्तावित	6,70,00,666/-	75,35,575/-	7,45,38,241/-
समिति द्वारा प्रशासनिक दृष्टि से अनुमोदित	6,70,00,666/-	75,35,575/-	7,45,38,241/-

समिति ने मुख्य अभियंता (द्वारका) को यह सुनिश्चित करने के लिए निदेशित किया है कि-

i) साइकिल ट्रैक के अंदर मोटर चालित वाहनों को रोकने के लिए सड़कों के जंक्शन के कोनों पर निर्दिष्ट विनिर्देशों का कंक्रीट बोलार्ड फिक्स किया जाना है।

ii) तकनीकी प्रदर्शन उद्देश्यों के लिए कम से कम 200 मीटर के साइकिल ट्रैक के मार्ग (स्ट्रेच) में नवीकरणीय उर्जा उत्पादन विधियों को शामिल करते हुए सौर पैनल प्रदान करने के लिए संभावना का पता लगाया जा सकता है।

iii) विशेष रूप से सड़कों के पारगमन (क्रोसिंग) /जंक्शन्स पर उचित रंग के पूर्वनिर्मित रंगीन पिगमेंट का प्रयोग साइकिल ट्रैक हेतु किया जा सकता है जैसा कि मुख्य योजना मार्ग संख्या 201 के कुछ स्थलों पर अन्य मार्गों से साइकिल ट्रैक को भिन्न रखने के लिए पहले ही किया जा चुका है।

iv) साइकिल ट्रैक पर 100 मीटर के उपयुक्त अन्तर पर सफेद रंग से साइकिल का मानक आकार/आकृति का मोनोग्राम पेन्ट किया जा सकता है।

5. बोली प्रस्तुत करना:

(क) बोलीदाता किसी भी कार्यदिवस को अपराह्न 02.00 बजे से 05.00 बजे के बीच बोली देने अथवा दर उद्धृत करने से पहले फाइल कवर के सैम्पाल का निरीक्षण कर सकते हैं।

(ख) तकनीकी बोली निर्धारित तिथि एवं समय अर्थात 23.07.2019 को अपराह्न 03.30 बजे क्रय समिति द्वारा उन निविदादाताओं की उपस्थिति में खोली जाएगी , जो उपस्थित रहने के इच्छुतक हों। तकनीकी बोली में निम्नमलिखित सम्मिलित होगा:

i) बोलीदाताओं को इस तिथि तक सरकारी विभागों , सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और प्रतिष्ठित व्यापार संगठनों द्वारा वित्तीय वर्ष क्रमश: 2017-2018 और 2018-19 के लिए उन्हें दिए गए 3 लाख रुपये प्रत्येरक को कम से कम दो मुख्य- कार्य आदेशों के दस्तानवेज प्रस्तुएत करने अपेक्षित हैं।

ii) बोलीदाताओं को फर्म के संबंध में पेन कार्ड , संबंधित प्राधिकरणों द्वारा आबंटित जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण-पत्र जमा करवाना अपेक्षित है।

iii) बोलीदाताओं को लैटरहैड पर यह बताते हुए एक घोषण-पत्र प्रस्तु त करना अपेक्षित है कि बोलीदाताओं को किसी भी मंत्रालय/विभाग/संगठन द्वारा ब्लैकलिस्टिड नहीं किया गया है।

iv) बोलीदाताओं को 10,000 रु/- की बयाना जमा राशि (ई.एम.डी.) जमा करनी अपेक्षित है , जो किसी भी व्यावसायिक बैंक द्वारा जारी पे-आर्डर बैंक ड्राफ्ट के रूप में 'वेतन एवं लेखा अधिकारी , दि.वि.प्रा.' के पक्ष में विकास सदन, नई दिल्ली में देय होना चाहिए।

v) बयाना जमा राशि , दि.वि.प्रा., विकास सदन , नई दिल्लीस-110023 के निविदा बॉक्स में तकनीकी बोली के साथ अपराह्न 03.00 बजे तक जमा की जानी चाहिए , जिसके बिना कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ग) उद्धत की गई दरें में जी.एस.टी. को छोड़कर माल ढुलाई , परिवहन, पैकिंग फॉरवर्डिंग हैंडलिंग आदि शामिल होना चाहिए , जिसका भुगतान नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार विभाग द्वारा लागू दरों पर किया जाएगा:-

कार्य का नाम और संक्षिप्तन विवरण	फाइल कवर का विस्तृवत विवरण अर्थात आकार आदि एवं (लगभग) मात्रा	उद्धत की गई राशि। सम्पू र्ण कार्य के लिए लागत जिसमें कम्पो जिंग़ प्रोसेसिंग, छपाई और बाइंडिंग क्लॉथ की लागत शामिल है। सम्पू र्ण लॉट हेतु दरें (क+ख) (रुपयों में) (शब्दोंत एवं अंकों में)
आकार लम्बा ई 14 ॥ और चौड़ाई 10.5॥ में फाइल कवर की छपाई और बाइंडिंग जो विधिवत् रूप से मोड़ा हुआ और चिपकाया हुआ हो।	विभिन्न विभागों के फाइल कवर जो विधिवत् रूप से मोटाई में 4 ॥ और लंबाई में 14॥ वाले अच्छीा गुणवत्ता वाले बाइंडिंग कपड़े (झंडेवाला प्रकार के) सहित छपे हुए होने चाहिए और सिंथेटिक चिपकाने वाले फेविकॉल/वेमिकाल आदि से चिपकाये जाने चाहिए तथा सैम्पकल के अनुसार 2 आइलेट्स लगे होने चाहिए और मोड़ा (विधिवत् वृद्धि) जाना चाहिए। (क) आवास और सामान्य् एवं आर.टी.आई.- एक फोल्डट	

	(60,000) (ख) विधि विभाग- दो फोल्डए (16,000)	

(घ) निविदा फार्म में सभी प्रविष्टियाँ सुपाठ्य और स्प(ष्ट, रूप से भरी जानी चाहिए। तकनीकी बोली अथवा वित्तीदय बोलियों में किसी भी त्रुटि-सुधार की अनुमति नहीं है। संपूर्ण लॉट के लिए वित्तीवय बोली निविदा सूचना के उक्तभ प्रारूप के अनुसार लैटरहैड पर प्रस्तुंत किया जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में वित्ती य बोली के प्रारूप में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उल्लिखित प्रारूप (प्रोफॉर्मे) के अलावा अन्यो किसी प्रारूप में जमा की गई बोली को तुरन्त् अस्वी कार कर दिया जाएगा , जैसा कि उल्लिखित अनुसूची के अनुसार लैटर हेड में है।

(ङ) यह विशेष रूप से उल्ले ख किया जाए कि बोली पूर्ण रूप से निविदा के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार होनी चाहिए। इसके न होने पर दरसूची (कोटेशन) अस्वीिकार की जा सकती है।

6. बयाना जमा राशि (ई.एम.डी.):

(क) प्रत्योक दर सूची (कोटेशन) बयाना जमा राशि के साथ होनी चाहिए , जो लेखा अधिकारी (रोकड़ मुख्यत) , दि.वि.प्रा. के नाम में डिमांड ड्राफ्ट/पे-आर्डर के रूप में विकास सदन , नई दिल्लीक में देय होनी चाहिए। बयाना जमा राशि के बिना प्राप्त् दर सूची (कोटेशन) रद्द कर दी जाएगी।

(ख) यदि निविदादाकर्ता निविदा की वैधता की अवधि के अंदर किसी भी प्रकार से निविदा वापस लेता है , उसमें संशोधन करता है, छेड़छाड़ करता है अथवा कुछ कम करता है तो उसकी बयाना राशि जब्ता कर ली जाएगी और बोली अस्वी्कार कर दी जाएगी।

(ग) सभी असफल निविदादाताओं की बयाना जमा राशि संविदा पत्र प्रदान किए जाने के बाद जल्दग-से-जल्द वापिस कर दी जाएगी। बयाना जमा राशि पर विभाग द्वारा कोई ब्यारज देय नहीं होगा। सफल बोलीदाता की बयाना जमा राशि प्रतिभूति प्रस्तुदत करने के बाद वापिस कर दी जाएगी।

7. तकनीकी बोलियों की अर्हता के लिए पात्रता मानदंड:

(क) बोलीदाताओं द्वारा इस तिथि तक सरकारी विभागों , सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और प्रतिष्ठित व्यापार संगठनों द्वारा वित्ती य वर्ष क्रमश: 2017-18 और 2018-19 के लिए उन्हें दिए गये 3.00 लाख रुपये प्रत्येरक के दो मुख्य् कार्य आदेशों को पूरा किया होना चाहिए।

(ख) बोलीदातों के पास फर्म से संबंधित पैन कार्ड , संबंधित प्राधिकरणों द्वारा आबंटित जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण-पत्र होना अपेक्षित है।

(ग) बोलीदाता को किसी मंत्रालय/विभाग/संगठन द्वारा ब्लै कलिस्टिड न किया गया हो।

(घ) निविदा के साथ जमा किया गया फाइल कवर (कपड़ा आदि) का सैम्पिल दि.वि.प्रा. के सैम्प।ल के अनुसार होना चाहिए।

(ड़) कम्पुनी का कवर लेटर होना चाहिए कि यह निविदा दस्ता वेजों की सभी निबंधन एवं शर्तों को स्वी कार करता है।

8. बोली का मूल्यांाकन और कार्य प्रदान करना:

(क) विधिवत् रूप से गठित समिति पहले तकनीकी बोली खोलेगी और उसका मूल्यां□कन करेगी , केवल उन बोलीदाताओं की मूल्यत बोली खोली जाएगी , जिनकी तकनीकी बोली निविदा के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार ठीक पाई जाएँगी। इसकी सूचना अलग से उन बोलीदाताओं को भेजी जाएगी , जिनकी बोलियां तकनीकी रूप से स्वी,कार्य पाई जाएँगी। न्यूंनतम उद्धत बोलीदाता(ओं) को कार्य सौंप दिया जाएगा।

(ख) विभाग को बिना कोई कारण बताएं , चाहे वह कुछ भी हो , किसी भी बोली को स्वी कार अथवा अस्वीयकार करने अथवा निविदा कार्यवाही को निरस्तह करने का अधिकार है।

9. प्रतिभूति:

सफल बोलीदाता को विभाग द्वारा बोली-पत्र की स्वीनकृति के जारी करने के एक सप्ताीह के अंदर प्रेस प्रबंधक द्वारा जारी सामग्री की प्रतिभूति के रूप में एक लाख रुपये की प्रतिभूति राशि जमा करनी अपेक्षित होगी। यह प्रतिभूति किसी भी व्यारवसायिक बैंक के डिमांड ड्राफ्ट/पे-आर्डर/बैंक गांरटी अथवा सावधि जमा रसीद (एफ.डी.आर.) के रूप में हो सकती है। यदि प्रिंटर/आपूर्तिकर्ता संविदा की अवधि के दौरान संतोषजनक सेवा प्रदान नहीं कर पाता है , तो फर्म द्वारा जमा की प्रतिभूति राशि अन्यष उपायों के पूर्वाग्रह के बिना जब्ता कर ली जाएगी। प्रतिभूति राशि पर क्रेता द्वारा कोई ब्या ज देय नहीं होगा। प्रतिभूति राशि स्वीरकृति की तिथि से 3 महीने की न्यूकनतम अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।

10. संविदा की समाप्ति/रद्दकरण:

(क) प्रिंटिग की गुणवत्ता/ उत्तरम कोटि की और अपेक्षा के अनुसार होनी चाहिए। यदि यह पाया जाता है कि कि सेवाएं अच्छेा स्त र की और विनिर्देशन के अनुसार नहीं हैं , तो विभाग करार समाप्ति कर सकता है और प्रतिभूति राशि जब्तन कर सकता है तथा फर्म को ब्लैरक लिस्टव कर सकता है।

(ख) यदि संविदा देने के बाद भी सफल बोलीदाता (एल-1) अपेक्षित प्रिंटेड/स्टे.शनरी आइटम उपलबध नहीं करा पाता है , तो संविदा को रद्द कर दिया जाएगा। बयाना जमा राशि और प्रतिभूति जब्त कर ली जाएगी तथा फर्म को ब्लैदक लिस्टग करने जैसी अन्य् अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।

(ग) यदि यह बाद में सिद्ध हो जाता है अथवा पाया जाता है कि बोली लगाने वाली फर्म ने कोई झूठी सूचना अथवा तथ्ये दिए हैं अथवा तथ्यों को छिपाया है अथ्वाा दस्तायवेजों में किसी प्रकार की छेड-छाड़ की है आदि, तो बयाना जमा राशि, जैसा भी मामला हो, जब्त. कर ली जाएगी और इसके बारे में किसी भी प्रकार की माफी , चाहे जो भी है, पर विचार नहीं किया जाएगा।

11. कर देयता की रसीद: फर्म सुनिश्चित करेंगी कि बिल मिलने के बाद विभाग को कर की रसीदें जमा कर दी गई हैं।

12. भुगतान: कार्य की संतोषजनक स्वी कृति के साथ-साथ पूर्व-प्राप्ता बिल की तीन प्रतियां प्राप्तज होने पर ही फर्म को ई.सी.एस के माध्यसम से भुगतान किया जाएगा। यदि कोई भी आइटम आर्डर के विनिर्देशन के अनुसार नहीं पायी जाती है अथवा अपेक्षा को पूरा नहीं

करती है अथवा घटिया किस्म की पायी जाती हैं , तो उन्हें अस्वीमकार कर दिया जाएगा तथा आपूर्तिकर्ता को इन्हें निर्धारित आपूर्ति समय के अंदर बिना कोई अतिरिक्तम प्रभार लिए बदलना होगा।

यदि आपूर्तिकर्ता क्रय आदेश में निर्धारित तिथि के अंदर किसी अथवा सारी वस्तुनओं की आपूर्ति नहीं कर पाता है , तो क्रेता अन्यं उपायों के पूर्वाग्रह के बिना प्रत्येभक सप्ताह (सप्ताहह के भाग को पूरा सप्ताह के रूप में माना जाएगा) के लिए बिलंब से उपलबध कराई गई वस्तुकओं की कीमत पर 5 % परिनिर्धारित नुकसानी के रूप में काट लेगा , जो बिलंबित आपूर्ति मूल्यु के अधिकतम 25 % की शर्त के अधीन होगा और इसकी कटौती बिलों से अथवा पार्टी को देय किसी अन्यत भुगतानों में से की जाएगी। विभाग करार को निरस्तत करने क्रय आदेश को रद्द करने के लिए स्वंतंत्र होगा तथा यदि आपूर्तिकर्ता निर्धारित आपूर्ति अवधि के अंदर आइटम की आपूर्ति अवधि के अंदर आइटम की आपूर्ति नहीं कर पाता है, तो विभाग प्रतिभूति को जब्तं भी कर सकता है।

13. मध्यपस्थ,ता:

यदि किसी एक पक्षकार द्वारा अनुबंध के किसी प्रावधान पर वैधता , व्यासख्याि कार्यान्वएयन अथवा कथित सामग्री के संबंध में दोनो पक्षकारों के बीच उस अवधिअथवा उसके बाद कोई विवाद होता है , जो न्यामयसंगत हो तो दोनों पक्षकारों को ऐसे विवाद का समाधान सौहार्दपूर्ण ढंग से करने का प्रयत्न करना होगा। सौहार्दपूर्ण समाधान लाने के लिए किसी प्रयास को उस स्थिति में विफल माना जाएगा जब पक्षकारों में से कोई एक उचित प्रयासों (प्रयास 30 (तीस) दिन से कम नहीं होने चाहिए) के बाद किसी अन्य पक्षकार को लिखित रूप में 15 दिनों का नोटिस देता है। विवाद को अधिनिर्णय के लिए माध्यस्थम के माध्यम से एकमात्र मध्यस्थ द्वारा भेजा जाएगा, जो एक तकनीकी व्यक्ति होगा, जिसको व्यापार का ज्ञान और अनुभव हो (इस को दोनों पार्टी की सहमति से नियुक्त किया जाएगा। यदि दोनों पार्टी एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए सहमत नहीं होती हैं, तो इस मामले में मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में माध्यस्थम और रद्दकरण (संशोधन) अधिनियम 1996 के प्रावधान लागू होंगे और दोनों पार्टी इनका पालन करने के लिए बाध्य होंगी। साथ ही दोनों पार्टी को इसके लिए भी सहमत होना होगा कि मध्यस्थ द्वारा अधिनिर्णय की सीट और स्थान केवल दिल्ली/नई दिल्ली ही होगा।

इस संविदा की एक शर्त यह भी है कि यदि कोई संविदाकार यथापूर्वोक्त प्रभारी अधिकारी से यह सूचना कि बिल भुगतान हेतु तैयार है, प्राप्त होने पर 120 दिनों के अन्दर लिखित रूप में किसी दावे के संबंध में लिखित में मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु मांग नहीं करता है, तो संविदाकार के दावे को छोड़ा हुआ मान लिया जाएगा।

माध्यस्थम कार्यवाहियाँ माध्यस्थम और समझौता अधिनियम, 2015 (सं. 3 /20160 दिनांक 23.10.2015 से प्रभावी माध्यस्थम और समझौता अधिनियम 1996 में संशोधन हेतु एक अधिनियम) द्वारा शासित होंगी और/ अथवा किसी सांविधिक संशोधन अथवा अधिनियमन और इनके अंतर्गत बनाए गए और कुछ समय के लिए लागू नियम, इस खण्ड के अंतर्गत माध्यस्थम कार्यवाही के लिए लागू होंगे।

इस संविदा की यह भी एक शर्त है कि यदि मध्यस्थ को कोई शुल्क देय है, तो इसका भुगतान दोनों पार्टी द्वारा समान रूप से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त "जहाँ माध्यस्थम अधिनिर्णय राशि के भुगतान के लिए हो, तो माध्यस्थम अधिनिर्णय किए जाने की तिथि तक किसी अवधि के लिए संपूर्ण राशि अथवा राशि के किसी भाग पर कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।"

14. इस अनुबंध के अंतर्गत अथवा इस के संबंध में अथवा इसमें दी गई किसी शर्त की व्याख्या पर अथवा पार्टी के किसी दावे अथवा देयता के संबंध में किसी दावे अथवा असहमति के मामले में इस को दोनों पार्टी की आपसी सहमति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थ को भेजा जाएगा। इच्छुक पार्टी माध्यस्थम को नियुक्त करने के उद्देश्य को अधिसूचित करते हुए अन्य पार्टी को लिखित रूप में नोटिस भेजेगी। यदि दोनों पार्टी पारस्परिक सम्मति से सहमत होने में असमर्थ होती हैं, तो विभाग एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेगा। माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधान लागू होंगे। माध्यस्थम कार्यवाही नई दिल्ली में होंगी। मध्यस्थ अपने अधिनिर्णय के लिए कारण देंगे और मध्यस्थ द्वारा पारित अधिनिर्णय अंतिम होगा तथा इसके बाद यह दोनों पार्टियों के लिए बाध्यकारी होगा। ऐसे मामले भारतीय माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 अथवा अन्य संशोधनों अथवा उसमें लिखित नियमों सहित उनके पुनःअधिनियमन के अतंर्गत माध्यस्थम हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले माने जाएंगे।

15. अपरिहार्य घटनाः यदि फर्म के कार्य निष्पादन में विलम्ब होता है अथवा करार के अंतर्गत यह अपने अन्य कर्तव्यों को पूरा करने में असफल होती है, जिसका परिणाम अपरिहार्य धटना हो, तो खण्ड 9 के प्रावधान के बावजूद फर्म अपनी प्रतिभूति की जब्ती , परिनिर्धारित नुकसानी (लिक्विडिटी डेमेज) अथवा उल्लंघन हेतु समाप्ति के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। इस खण्ड के उद्देश्य हेतु, "अपरिहार्य घटना से तात्पर्य उस घटना से है, जो फर्म के नियंत्रण से बाहर है और जिसमें फर्म का कोई दोष अथवा लापरवाही नहीं हो तथा जिसका पूर्वाभास ना किया जा सके। ऐसी घटनाओं में ऐसी गतिविधियों में 'विभाग' के कार्य इसकी प्रभुता अथवा संविदात्मक क्षमता अथवा क्रांति, अग्नि, बाढ़, महामारी, कोरांटिन प्रतिबंध और माल-भाड़ा शामिल हैं परन्तु वह इनके लिए बाहय नहीं है। यदि कोई अपरिहार्य घटना की स्थिति उत्पन्न होती है, तो फर्म तुरंत लिखित रूप में विभाग को अधिसूचित करेगी, करार के अंतर्गत जहाँ तक उचित और व्यावहारिक हो अपने कार्य का निष्पादन करेगी और ऐसे सभी उचित वैकल्पिक साधनों को ढूँढ़ने का प्रयास करेगी, जो निष्पादन के लिए अपरिहार्य घटना द्वारा प्रतिबंधित न हो। "

16. सभी विवाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन हैं।

उप निदेशक (नजारत)

***भाषा में विसंगति पाई जाने पर अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।**